https://shikshabodh.in/

SHIKSHA BODH

(The Journal of Education and Humanities)

ISSN: 3139-5880 IMPACT FACTOR: 6.50

VOLUME-1|ISSUE-2| April-June,2026

# महिला सशक्तिकरण: अवसर एवं चुनौतियाँ

## (21वीं सदी के भारतीय समाज के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

- साधना सिंह

  शोधार्थी, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

**शोध सार (Abstract)**

21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और सतत विकास (Sustainable Development) की अनिवार्य शर्त बन चुका है। किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसमें महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता, समता और अवसर प्राप्त हैं। प्रस्तुत शोध आलेख भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण के बहुआयामी पहलुओं- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और कानूनी-का गहन विश्लेषण करता है। यह अध्ययन वर्तमान समय में उपलब्ध अवसरों, जैसे कि शिक्षा का विस्तार, डिजिटल क्रांति, महिला उद्यमिता तथा संवैधानिक संरक्षण का मूल्यांकन करता है। साथ ही, यह शोध पितृसत्तात्मक संरचना, लिंग-आधारित हिंसा, आर्थिक विषमता और डिजिटल विभाजन जैसी उन गंभीर चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। अंत में, यह आलेख नीतिगत सुधारों, सामाजिक जागरूकता और व्यावहारिक उपायों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक भावी रोडमैप प्रस्तुत करता है।

**मुख्य शब्द (Keywords):** *महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समता, पितृसत्तात्मक ढाँचा, सतत विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता।*

### 1.प्रस्तावना (Introduction)

*यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं; लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे परिवार और राष्ट्र को शिक्षित करते हैं।"*— **महात्मा गांधी**

महिला सशक्तिकरण का शाब्दिक और व्यावहारिक अर्थ है—महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने की शक्ति, अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना। इसका तात्पर्य केवल महिलाओं को अधिकार देना मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ वे बिना किसी भेदभाव, भय और पूर्वाग्रह के अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन कर सकें।

ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत गतिशील रही है। वैदिक काल में जहाँ गार्गी, मैत्रेयी और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, वहीं मध्यकाल तक आते-आते बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। आधुनिक भारत में, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार के गंभीर प्रयास शुरू हुए।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण का दायरा केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक सहभागिता, तकनीकी दक्षता और सामाजिक स्वायत्तता तक विस्तृत हो चुका है। इसके बावजूद, भारत जैसे विविध और जटिल समाज में महिलाओं की स्थिति में समानता और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच एक बड़ी दूरी बनी हुई है।

## 2. महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम (Dimensions of Women Empowerment)

सशक्तिकरण एक एकीकृत प्रक्रिया है, जिसे मुख्य रूप से निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत समझा जा सकता है:

### 2.1 सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment)

सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा, सम्मान और भेदभाव-मुक्त वातावरण मिलना। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच, कुरीतियों का उन्मूलन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है।

### 2.2 शैक्षणिक सशक्तिकरण (Educational Empowerment)

शिक्षा सशक्तिकरण की प्राथमिक कुंजी है। यह न केवल महिलाओं में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर आर्थिक आत्मनिर्भरता के योग्य बनाती है।

### 2.3 आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment)

आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वायत्तता का आधार है। जब महिला के पास संपत्ति पर अधिकार, रोज़गार के अवसर और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच होती है, तब परिवार और समाज में उसकी भूमिका और प्रभाव स्वतः बढ़ जाता है।

### 2.4 राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment)

नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक सशक्तिकरण को दर्शाती है। स्थानीय निकायों (पंचायती राज) से लेकर संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाता है।

### 2.5 कानूनी एवं संवैधानिक सशक्तिकरण (Legal and Constitutional Empowerment)

संविधान और कानूनों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ज्ञान और उनका न्यायपूर्ण उपयोग महिलाओं को किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

## 3. वर्तमान भारत में महिला सशक्तिकरण के अवसर (Opportunities)

21वीं सदी में वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और नीतिगत सुधारों ने भारतीय महिलाओं के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खोले हैं:

### 3.1 शिक्षा का व्यापक प्रसार एवं उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी

विगत दो दशकों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों के नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio) में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं ने बालिका शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन लाया है। आज विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्रों में भी महिलाओं की उपस्थिति निरंतर बढ़ रही है।

### 3.2 डिजिटल क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी (Digital Inclusion)

इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को ज्ञान, कौशल विकास और रोज़गार के नए अवसरों से जोड़ा है। 'वर्क फ्रॉम होम' (Work from Home) और 'फ्रीलांसिंग' जैसी अवधारणाओं ने उन महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सक्रिय होने का अवसर दिया है जो घरेलू जिम्मेदारियों के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं।

### 3.3 महिला उद्यमिता एवं स्व-सहायता समूह (Self-Help Groups)

भारत में 'स्वयं सहायता समूह' (SHG) आंदोलन, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार बनकर उभरा है। 'लखपति दीदी' पहल, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों महिलाएँ उद्यमी बन रही हैं। ये समूह न केवल वित्तीय बचत को बढ़ावा देते हैं बल्कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं।

### 3.4 राजनीतिक सहभागिता एवं आरक्षण

73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% (कई राज्यों में 50%) सीट आरक्षण ने जमीनी स्तर पर लाखों महिला नेताओं को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का पारित होना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर है।

### 3.5 कानूनी ढाँचा और संवैधानिक संरक्षण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध), और अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) महिलाओं को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त:

- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017

## 4. महिला सशक्तिकरण के मार्ग में मुख्य चुनौतियाँ (Challenges)

अपार अवसरों और कानूनी संरक्षण के बावजूद, धरातल पर भारतीय महिलाओं को अनेक गंभीर और जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

**महिला सशक्तिकरण की प्रमुख चुनौतियाँ:**

- सामाजिक: पितृसत्तात्मक सोच एवं रूढ़ियाँ
- आर्थिक: वेतन विषमता एवं कम सहभागिता
- सुरक्षा: घरेलू व कार्यस्थल हिंसा
- स्वास्थ्य: कुपोषण एवं एनीमिया
- राजनीतिक: 'सरपंच पति' संस्कृति

### 4.1 गहरी जमी हुई पितृसत्तात्मक मानसिकता (Patriarchal Mindset)

भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। आज भी कई क्षेत्रों में पुत्र-प्राप्ति की चाहत के कारण लिंग-चयनित गर्भपात, बाल विवाह और लड़कियों के साथ भेदभाव जैसी कुरीतियां विद्यमान हैं। समाज में महिला को स्वतंत्र निर्णयकर्ता के रूप में स्वीकार करने की मानसिकता का अभाव है।डॉमिथिलेश कुमार शुक्ल ने बताया कि स्मृति कालखंड में भारतीय समाज में तमाम तरह की विसंगतिया थी ,उनको आज तक नहीं ले कर चला जा सकता है ,उसको बदलने की जरुरत है[8] ।

### 4.2 लैंगिक हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ (Gender-based Violence)

घर के भीतर घरेलू हिंसा से लेकर कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न तक, सुरक्षा की कमी महिलाओं की गतिशीलता और स्वतंत्रता को सीमित करती है। सुरक्षा के भय से कई परिवार अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा या बाहर नौकरी करने की अनुमति नहीं देते, जिससे उनके अवसर सीमित हो जाते हैं।

### 4.3 आर्थिक विषमता एवं श्रम बल में कम भागीदारी (Low FLFP Rate)

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 'महिला श्रम बल भागीदारी दर' (Female Labour Force Participation Rate) अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ी है। इसके प्रमुख कारण हैं:

• **वैतनिक विषमता (Gender Pay Gap):** समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलना।

• **अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work):** बच्चों का पालन-पोषण, बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू कामों का संपूर्ण बोझ महिलाओं पर होना, जिसे आर्थिक गणना में शामिल नहीं किया जाता।

• **असंगठित क्षेत्र में शोषण:** असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को न तो सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही उचित वेतन।

### 4.4 स्वास्थ्य और पोषण की दयनीय स्थिति

भारत में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग कुपोषण और एनीमिया (रक्तल्पता) से पीड़ित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, भारत में 15 से 49 वर्ष की आधी से अधिक महिलाएँ एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसके अलावा, मातृ मृत्यु दर (MMR) में सुधार के बावजूद ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव एक बड़ी चुनौती है।

### 4.5 डिजिटल विभाजन (Digital Divide)

तकनीकी क्रांति के दौर में भी ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की पहुँच पुरुषों की तुलना में काफी कम है। यह 'डिजिटल जेंडर गैप' महिलाओं को नए जमाने के अवसरों से वंचित करता है।

### 4.6 'सरपंच पति' संस्कृति एवं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व

राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण मिलने के बावजूद कई स्थानों पर वास्तविक सत्ता महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उसके पति या पुरुष रिश्तेदार (जिसे आम भाषा में 'सरपंच पति' कहा जाता है) द्वारा चलाई जाती है। यह वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य को विफल करता है।

## 5. प्रमुख सरकारी योजनाएँ: एक अवलोकन (Key Government Initiatives)

| क्र.सं. | योजना का नाम | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1 | बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ | लिंग अनुपात में सुधार और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। |
| 2 | सुकन्या समृद्धि योजना | बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य और विवाह हेतु वित्तीय सुरक्षा देना। |
| 3 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना। |
| 4 | लखपति दीदी योजना | स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोज़गार और उद्यमिता हेतु सक्षम बनाना। |
| 5 | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
| 6 | स्टैंड अप इंडिया एवं मुद्रा योजना | महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना। |

## 6. सुझाव एवं भावी दिशा (Recommendations & Future Scope)

महिला सशक्तिकरण की दिशा में यदि हमें वास्तविक बदलाव लाना है, तो केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा; इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है:

### 6.1 सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन (Behavioral Change)

• **लैंगिक संवेदीकरण (Gender Sensitization):** पुरुषों और लड़कों को बचपन से ही लैंगिक समानता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में 'जेंडर स्टडीज' को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

• **मीडिया की सकारात्मक भूमिका:** फिल्मों, विज्ञापनों और टीवी सीरियलों में महिलाओं की पारंपरिक और रूढ़िवादी छवि के बजाय एक सशक्त और आत्मनिर्भर नागरिक के रूप में प्रस्तुति दी जानी चाहिए।

### 6.2 आर्थिक नीतियाँ एवं कार्यस्थल में सुधार

• **समान वेतन का सख्त कार्यान्वयन:** समान कार्य के लिए समान वेतन के नियम का कड़ाई से पालन कराया जाए।

• **शिशु गृह (Crèche) सुविधा अनिवार्य करना:** कार्यस्थलों पर बाल-देखभाल गृह (Crèches) की अनिवार्यता से माताएँ आसानी से अपने करियर को जारी रख सकेंगी।

• **असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का पंजीकरण:** असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क (पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा) के तहत लाया जाए।

### 6.3 डिजिटल एवं तकनीकी साक्षरता

ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष 'डिजिटल साक्षरता अभियान' चलाए जाने चाहिए ताकि वे ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और ई-कॉमर्स का लाभ उठा सकें।

### 6.4 कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और त्वरित न्याय

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए 'फास्ट-ट्रैक अदालतों' की संख्या बढ़ाई जाए और पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए।

## 7. निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षतः, महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के कल्याण या विकास का विषय नहीं है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और समृद्ध समाज की स्थापना का मूल आधार है।

*"नारी केवल अबला नहीं, वह समाज का आधा हिस्सा है; और जब तक आधा हिस्सा कमजोर रहेगा, तब तक पूरा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।"*

### शोध आलेख निष्कर्ष

विगत कुछ दशकों में भारत ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। संवैधानिक संरक्षण, बढ़ती साक्षरता, उद्यमिता और राजनीतिक आरक्षण ने महिलाओं को नई पहचान दी है। परंतु, जब तक पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक हिंसा, और आर्थिक असमानता जैसी जड़ों को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक वास्तविक सशक्तिकरण का स्वप्न अधूरा रहेगा।

सच्चा सशक्तिकरण तब माना जाएगा जब एक महिला को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी—चाहे वह उसके शरीर का मामला हो, उसकी शिक्षा का, उसके विवाह का, या उसके करियर का। इसके लिए सरकार, समाज, परिवार और स्वयं महिलाओं को एकजुट होकर एक सहयोगात्मक और सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का निर्माण करना होगा।

## 8. संदर्भ ग्रंथ सूची (References)


1. अग्रवाल, बी. (2010). अ फील्ड ऑफ वन्स ओन: जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 45-88.
2. शर्मा, के. (2018). भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण: स्थिति और चुनौतियाँ. रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, पृष्ठ 112-140.
3. भारत सरकार (2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) रिपोर्ट (2019-21). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 215-250.
4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2023). ग्लोबल वेज रिपोर्ट: जेंडर पे गैप इन डेवलपिंग नेशंस, पृष्ठ 34-60.
5. सिंह, साधना (2024). राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और महिला स्वावलंबन. शोध आलेख, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, पृष्ठ 1-6.
6. विश्व बैंक (2022). महिला, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट. वाशिंगटन डी.सी., पृष्ठ 78-102.
7. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) (2023). ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट: जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स (GII), पृष्ठ 105-130.
8. Dr.Mithilesh Kumar Shukla. (2021). आचार्य मनु एवं मनुस्मृति का शिक्षा दर्शन एक अनुशीलन .Shodh Sarita, UGC Care Listed Journal, 8(29), 150–154. https://doi.org/10.5281/zenodo.21981673